न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1040/11/2011 विरूद्व आदेश दि. 24.01.2011 –पारित– अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल –प्रकरण कमांक 65/08–09 अपील

रामप्रसाद पुत्र अमर सिंह
ग्राम तलेन तहसील नरसिंहगढ़
जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश
——आवेदक

विरूध्द

1– शंकरलाल 2– कालूराम
3– आत्माराम 4–नरसिंह
चारों पुत्रगण कालूराम ग्राम तलेन
तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़
—— अनावेदकगण

आवेदकगण के अभिभाषक श्री मेहरवान सिंह
अनावेदकगण के अभिभाषक श्री योगेश वर्मा

आदेश

(आज दिनांक 23– 4 – 2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण कमांक 65/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 24.1.2011 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 (आगे जिसे संहिता अंकित किया गया है) की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक व्दारा नायव तहसीलदार टप्पा तलेन को संहिता की धारा 131 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उसके स्वामित्व की कृषि भूमि सर्वे कमांक 120 रकबा 1.303 हैक्टर है जिसमें आने–जाने के लिये भूमि सर्वे कमांक 122 एंव 177 (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) से रूढिगत रास्ता है किन्तु अनावेदकगण व्दारा रास्ता बंद कर दिया है जिसे खुलवाया जावे। नायव तहसीलदार तलेन ने प्रकरण कमांक 2 अ 13/06–07 दर्ज किया एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 3–11–06 से वादग्रस्त भूमि में 10 फीट

चौड़ा रास्ता खुलवाने का आदेश दिया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, नरसिंहगढ़ के समक्ष अपील करने पर प्रकरण कमांक 14 अ–13/06–07 अपील में पारित आदेश दिनांक 29–10–07 से अपील स्वीकार की गई एंव नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 3–11–06 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने द्वित्तीय अपील अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष प्रस्तुत की। अपर आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरण कमांक 65/08–09 अपील में पारित आदेश दिनांक 24–1–11 से अपील निरस्त की। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी हैं

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि नायव तहसीलदार टप्पा तलेन ने आदेश दिनांक 3–11–06 के पद 6 में विवेचना इस प्रकार की है :–

" मेरे व्दारा प्रकरण का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया व प्रस्तुत तर्कों पर गहनतापूर्वक मनन किया गया। विचारोपरांत में पाता हूँ कि आवेदक व्दारा प्रस्तुत साक्ष्यों से यह सिद्व नहीं है कि आवेदक का रूढ़िगत पहुंच मार्ग अनावेदक के खेत से होकर रहा है तथापि यह अवश्य माना जा सकता है कि आवेदक आवेदकगण की पड़त भूमि में से होकर निकला करता था परन्तु यह रूढ़ि के रूप में सिद्व नहीं पाया जाता। "

उक्तानुसार विवेचना एंव सार निकालने के उपरांत दिये गये अंतिम निष्कर्ष का उद्वरण इस प्रकार है :–

" अतः आवेदक रामप्रसाद को उसकी भूमि सर्वे क. 108/1 से सर्वे क. 120 में जाने के लिये सुविधा के तत्व को ध्यान में रखते हुये अनावेदकगण की पड़ती भूमि में से 10 फीट चौड़ा रास्ता खुलवाने का आदेश दिया जाता है "।

नायव तहसीलदार व्दारा उपरोक्तानुसार निकाले गये दोहरे निष्कर्ष संहिता की धारा 131 के प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि अनावेदकगण की भूमि में से आवेदक का जब रूढ़िगत रास्ता नहीं है, तब आवेदक को अनावेदकगण की कृषि योग्य अथवा पड़त भूमि में 10 फीट चौड़ा रास्ता खुलवाने का आदेश देना संहिता की धारा 131 में विहित प्रावधानों के विपरीत है और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी,

नरसिंहगढ़ व्दारा आदेश दिनांक 29—10—07 में तथा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा आदेश दिनांक 24—1—11 में निकाले गये निष्कर्ष विधिवत् होना पाये गये हैं।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। परिणामतः, अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण कमांक 65/2008—09 में पारित आदेश दिनांक 24.1.2011 विधिवत् होने से स्थिर रहता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर